28.2.15

न्यायालय– समाहर्त्ता, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 117/2011 गीता देवी बनाम राज्य

आदेश

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 48–2 दिनांक– 25.09.2010 द्वारा महिषी प्रखण्ड अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र 53 नाकूच पंचायत सिरवार–वीरवार केन्द्र संचालित नहीं पाये जाने के कारण सेविका गीता देवी को चयन मुक्त किये जाने के विरूद्ध अपील दाखिल किया गया था। सुनवाई के उपरान्त जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने तथा केन्द्र संचालन में अनियमितता पाये जाने के कारण इस न्यायालय के आदेश दिनांक– 23.09.2011 द्वारा अपील वाद खारीज किया जा चुका है। दिनांक– 23.09.2011 को पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में आंगनवाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या– 127/2011 दाखिल किया गया, जिसमें मान्नीय आयुक्त द्वारा साक्ष्य पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किये जाने का उल्लेख कर वाद पुर्नविचार हेतु अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय को रीमाण्ड कर दिया गया।

वाद की सुनवाई के दौरान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्रांक 2354 दिनांक– 17.05.2013 के आलोक में वाद की अग्रतर सुनवाई शक्ति उप निदेशक कल्याण को दी गयी है, जिस कारण वाद उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को हस्तानान्तरित कर दिया गया।

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा ने अपने आदेश दिनांक–10.1.14 द्वारा यह कहर कि जिला पदाधिकारी ने उनके न्यायालय से निम्न न्यायालय को वाद वापस कर दिया गया है जो पोषणीय नहीं है, अतः वाद जिलाधिकारी को वापस किया जाता है।

चूँकि समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2354 दिनांक–17.05.13 द्वारा इस मामले की सुनवाई की शक्ति जिलाधिकारी से वापस ले ली गयी है। अतः इस वाद की सुनवाइ इस स्तर से वैधानिक नहीं होने के कारण वाद को पुनः उप निदेशक,कल्याण–सह–क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को निष्पादन हेतु वापस किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

28.2.15
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 516-2 / जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 10 मार्च, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– उप निदेशक, कल्याण–सह–क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

7.3.15